इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023—कार्तिक 3, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-बी- 1- 68/2021/2/पांच, (25) भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 2023

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2023 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में,

(1) खण्ड (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"(ग्यारह- क) **"विनिर्माता का मूल्य"** से अभिप्रेत है आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित वह मूल्य जिस पर हेरिटेज मदिरा विनिर्माता, बोतलबंद हेरिटेज मदिरा का विक्रय करेगा;

(ग्यारह- ख) **"अधिकतम फुटकर मूल्य"** से अभिप्रेत है आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित वह अधिकतम मूल्य जिस पर फुटकर विक्रेता, बोतलबंद हेरिटेज मदिरा का विक्रय करेगा;

(ग्यारह- ग) **"न्यूनतम विक्रय मूल्य"** से अभिप्रेत है आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित वह न्यूनतम मूल्य जिस पर फुटकर विक्रेता, बोतलबंद हेरिटेज मदिरा का विक्रय करेगा;";

(2) खण्ड (सोलह) में, शब्दों और अंकों "और कम से कम 25 प्रतिशत सदस्य दसवीं कक्षा अथवा उसके समतुल्य अर्हता प्राप्त" को विलोपित किया जाए।

2. नियम 3 में,-

(1) उप-नियम (1) में,- खण्ड (ङ) में,-

(क) अनुक्रमांक 2 में, शब्द "प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र" विलोपित किए जाएं;

(ख) अनुक्रमांक 5 में, शब्द "सुरक्षा" के स्थान पर, शब्द "विनिर्माता का" स्थापित किए जाएं।

(2) उप-नियम (3) में,-

(क) खण्ड (छ) में, शब्द "योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ" के पश्चात् शब्द "जो केवल अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो" अंतःस्थापित किए जाएं;

(ख) उप-नियम (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतर्विष्ट किया जाए, अर्थात्:-

"(छक) हेरिटेज मदिरा विनिर्माता, हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई में केवल अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों से ही समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन कराएगा।"।

3. निमय 6 में,-

23 (1) खण्ड (क) में, शब्द, अक्षर, प्रतीक और अंक "एवं प्रारूप "एच.एल.-4"" विलोपित किए जाएं;

(2) खण्ड (ज) विलोपित किया जाए;

(3) खण्ड (झ) में, शब्द "विनिर्माणी इकाई" के स्थान पर, शब्द", "हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई/हेरिटेज मदिरा रिटेल आउटलेट (एच.एल.-2) एवं देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार" स्थापित किए जाएं;

(4) खण्ड (ञ) में, शब्द "निःशुल्क या सशुल्क" के स्थान पर; शब्द "अनुसूची-"क" में यथा उल्लिखित भंडारण शुल्क के भुगतान पर," स्थापित किए जाएं।

4. नियम 6 पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"6 क. अनुज्ञेय छीजन –

हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से देशी मद्य भाण्डागार, विदेशी मद्य भाण्डागार या वाइनरी या अन्य विक्रय केन्द्रों तक बोतल बंद हेरिटेज मदिरा के परिवहन के लिए, दूरी को विचार में लाये बिना अधिकतम छीजन छूट काँच की बोतलों के लिए 0.25 प्रतिशत एवं निर्यात के लिए 0.25 प्रतिशत अनुमत होगी।"।

5. नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"8. समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को परिवहन अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करना होगा.-

अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर से अथवा उस तक हेरिटेज मदिरा का परिवहन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूची-"क" में यथा उल्लिखित शुल्क का भुगतान कर, विहित प्रारूप में परिवहन अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को परिवहन अनुज्ञा पत्र में दी गई समस्त शर्तों का पालन करना होगा।"।

6. नियम 10 में, उपनियम (3) में, अक्षर और अंक "एच.-1" के स्थान पर, अक्षर और अंक "एच.एल.-1" स्थापित किए जाएं।

7. नियम 11 में,-

(1) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात् :-

"(च) एच.एल.-3 :- बोतलबंद हेरिटेज मदिरा का हेरिटेज मदिरा प्रेषित करने वाली इकाई से हेरिटेज मदिरा प्राप्त करने वाली इकाई तक परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र" स्थापित किए जाएं।

";

(2) खण्ड (छ) विलोपित किया जाए;

(3) खण्डों में, अक्षर "(क),(ख),(ग),(घ),(ङ),(च),(ज)" के स्थान पर, अंक "(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7)" स्थापित किए जाएं।

8. अनुसूची-"क" में,-

(1) अनुक्रमांक 4 के, कॉलम 3 में रूपये "5000" के स्थान पर रूपये "1000" एवं अनुक्रमांक 8 में, अगले कालम में शीर्षक शीर्ष के अधीन, शब्द, "परिवहन" के स्थान पर, शब्द "परिवहन अनुज्ञा पत्र" स्थापित किए जाएं;

(2) अनुक्रमांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"9	भंडारण शुल्क	निरंक	प्रतिपेटी ।"।

9. प्रारूप एच.एल.-'क' में,

(1) अनुक्रमांक 9 में, शब्द "प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र" का लोप किया जाए;

(2) अनुक्रमांक 10 में, शब्द "प्रस्तावित हेरिटेज मदिरा के ब्रांड्स और नामपत्र (लेबल) का विवरण" का लोप किया जाए।

10. प्रारूप एच.एल.-1, प्रारूप एच.एल.-1क तथा प्रारूप एच.एल.-2 में, शब्द तथा अंक "मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2022"के स्थान पर, शब्द तथा अंक "मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2023" स्थापित किए जाएं,

11. विद्यमान प्रारूप एच.एल.-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"प्रारूप एच.एल.3

परिवहन अनुज्ञा पत्र

[नियम 6(क) देखिये]

हेरिटेज मदिरा प्रेषित करने वाली इकाई से हेरिटेज मदिरा प्राप्त करने वाली इकाई तक बोतलबंद हेरिटेज मदिरा का परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र

क्रमांक .... **दिनांक..................**

हेरिटेज मदिरा प्रेषित करने वाली इकाई ....

हेरिटेज मदिरा प्राप्त करने वाली इकाई ....

भाग एक : जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाए।

भाग दो : हेरिटेज मदिरा प्राप्त करने वाली इकाई के अनुज्ञप्तिधारी हेतु।

भाग तीन : यह भाग परिवहन के दौरान पारगमन के लिए होगा और हेरिटेज मदिरा प्राप्त करने वाली इकाई का भारसाधक अधिकारी, उस पर सत्यापन का नोट अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अपने कार्यालय अभिलेख में रखेगा।

भाग चार : विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के लिए, अभिलेख के प्रयोजन हेतु ।

यह परिवहन अनुज्ञा पत्र, श्री/मेसर्स .... को .... बल्क/ प्रूफ लीटर हेरिटेज मदिरा, जिसका विवरण पीछे दिया गया है, का परिवहन, ... जिला ...., से ...., जिला .... तक, करने के लिए जारी किया जाता है।

इस अनुज्ञा पत्र के धारक ने चालान क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र शुल्क के रूप में रूपए.................(..................... मात्र) जिले में जमा कर दिए हैं। यह अनुज्ञा पत्र दिनांक .... तक वैध रहेगा।

शर्तें

1. इस अनुज्ञा पत्र में यथा उल्लिखित यह कंसाइनमेंट, परिवहन में खंडित नहीं किया जाएगा और गंतव्य स्थान तक .... मार्ग से होकर भेजा जाएगा।
2. वाहन क्रमांक .... ने आज दिनांक .... को .... बजे (दिन/रात) इस इकाई के अनुज्ञप्त परिसर से, पीछे दिए गए विवरण के अनुसार हेरिटेज मदिरा लेकर प्रस्थान किया है।
   दिनांक ....

आबकारी उपनिरीक्षक	भारसाधक अधिकारी	भारसाधक अधिकारी	भारसाधक अधिकारी	भारसाधक अधिकारी
वृत्त	विदेशी मद्य भाण्डागार	देशी मद्य भाण्डागार	वाइनरी	हेरिटेज मदिरा विनिर्माण
जिला	....	....	....	इकाई (एच एल – 1)
				.... जिला

(इनमें से जो लागू हो)

(प्रारूप एच.एल.-3 के पीछे अंकित होने वाला विवरण)

(उस हेरिटेज मदिरा का विवरण जिसके लिए यह परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है)

अनुक्रमांक	ब्राण्ड/ नामपत्र (लेबल)	बैच क्रमांक तथा दिनांक	पेटियों की संख्या				पेटियों की कुल संख्या	तीव्रता	बल्क लीटर में मात्रा	प्रूफ लीटर में मात्रा
			750 मि.ली.	500 मि.ली.	375 मि.ली.	180 मि.ली.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

दिनांक ....

आबकारी उपनिरीक्षक
वृत्त ....
जिला ....

भारसाधक अधिकारी
विदेशी मद्य भाण्डागार
....

भारसाधक अधिकारी
देशी मद्य भाण्डागार
....

भारसाधक अधिकारी
वाइनरी
....

भारसाधक अधिकारी
हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई (एच एल – 1)
.... जिला

(इनमें से जो लागू हो)

12. प्रारूप एच.एल.-4 का लोप किया जाए।

13. प्रारूप एच.एल.-5में, सारणी के कॉलम क्रमांक 5, 6 तथा 7 में, अंक तथा अक्षर" 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली." के स्थान पर, क्रमश: अंक तथा अक्षर" 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली." स्थापित किए जाएं।

14. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2023

क्र. बी–01–68–2021–2–पांच–(25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी–01–68–2021–2–पांच–(25), दिनांक 24 नवम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

No.F-B-1-68/2021/2/V(25) Bhopal, dated 24 November, 2023

In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (d), (e),(f), (g) and (h) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2023, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,–

1. In rule 2,-

(1) after clause (xi), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(xi-a) "**Manufacturer's Price**" means the price approved by the Excise Commissioner at which bottled heritage liquor is sold by the heritage liquor manufacturer;

(xi-b) "**Maximum Retail Price**" means the maximum price approved by the Excise Commissioner for sale of bottled heritage liquor by the retail licensee;

(xi-c) "**Minimum Selling Price**" means the minimum price approved by the Excise Commissioner for sale of bottled heritage liquor by the retail licensee;".

(2) In clause (xvi), the words and figures, "and at least 25% qualified up to 10th standard or equivalent" shall be omitted.

2. In rule 3,-

(1) in sub-rule (1), in clause (e),-

(a) in serial number 2, the words, "No Objection Certificate from Pollution Control Board" shall be omitted;

(b) in serial number 5, for the word "Safety", the word "Manufacturer's" shall be substituted;

(2) in sub-rule (3),-

(a) in clause (g), after the words, "qualified expert", the words, "belonging to the Scheduled Tribes category only" shall be inserted;

(b) after sub-rule (g), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(ga) The Heritage Liquor Manufacturer shall engage only those persons belonging to the Scheduled Tribes category for all types of activities in the Heritage Liquor Manufacturing Unit.".

3. In rule 6,-

(1) in clause (a), the word, letters and figure, "and "H.L.-4" " shall be omitted;

(2) clause (h) shall be omitted;

(3) in clause (i), for the words, "heritage liquor of units", the words, letters and figure, "Heritage Liquor Manufacturing unit/Heritage Liquor Retail Outlet (H.L.-2) and Country/Foreign liquor warehouse" shall be substituted;

(4) in clause (j), for the words, "free/on charge", the words, "after payment of storage fee as mentioned in Schedule-A," shall be substituted.

4. After rule 6, the following rule shall be added, namely:-

"**6A. Permissible wastages.-**

The maximum wastage allowed for transport of bottled Heritage Liquor from the Heritage Liquor Manufacturing Unit to Country Liquor Warehouse, Foreign Liquor Warehouse, Winery or any other sale outlets shall be 0.25 percent for glass bottles and 0.25 percent for all export, irrespective of distance.".

5. For rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"**8. All licensees to obtain Transport Permit.-**

The licensee shall obtain Transport Permit on payment of fees as mentioned in Schedule-A in the prescribed form issued by the authorized officer for transporting Heritage Liquor from or to his licensed premises. The Licensee shall follow all the conditions given in the Transport Permit.".

6. In rule 10, in sub-rule (3), for the letter and figure, "H-1" the letters and figure, "H.L.-1" shall be substituted.

7. In rule 11,-

(1) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

"(f) H.L.-3 Transport permit to transport bottled Heritage Liquor from the Heritage Liquor sending unit to Heritage Liquor receiving unit.";

(2) clause (g) shall be omitted;

(3) in clauses for letters, "(a),(b),(c),(d),(e),(f),(h)" the figures, (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7)" shall be substituted.

8. In Schedule-A,-

(1) in serial number 8, in next column under the heading 'Head', for the word, "Transportation", the words, "Transport Permit" shall be substituted;

(2) after serial number 8, the following serial number shall be added, namely:-

"9	Storage fee	Nil	Per case.".

9. In FORM HL-A,-

(1) in serial number 9, the words, "No Objection Certificate of Pollution Control Board" shall be omitted;

(2) in serial number 10, the words, "Details of the brands and labels of the proposed heritage liquor" shall be omitted.

10. In FORM HL-1, FORM HL-1A and FORM HL-2, for the words and figures, "Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2022", the words and figures, "Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2023" shall be substituted.

11. For the existing Form H.L.-3, the following Form shall be substituted, namely :-

"FORM H.L.-3

TRANSPORT PERMIT

[see rule 6(a)]

[Transport permit to transport bottled Heritage Liquor from Heritage Liquor Sending Unit to Heritage Liquor Receiving Unit]

No. **Date**

Heritage Liquor Sending Unit..........................

Heritage Liquor Receiving Unit ....

Part I : To be retained in the issuing office.

Part II: For the Heritage Liquor Receiving Unit Licensee.

Part III : This part shall cover the consignment during transit and the Officer-in-charge of the Heritage Liquor Receiving Unit, after recording verification note on it, shall keep it in his office record.

Part IV: For the selling licensee for the purpose of records.

This transport permit is issued to Mr./Ms. .... to transport .... bulk/proof litres of Heritage Liquor, details whereof are given overleaf, from .... at .... district .... to .... at .... district ....

This permit holder has deposited Rs. ....(..........only) by Challan No....................dated.....................as transport permit fee in .... district. This permit shall remain valid up to ....

CONDITIONS

1. The consignment as mentioned in this permit shall not be broken in transit and shall be routed to the destination via ....
2. Vehicle No.....................................has left the licensed premises of this unit with Heritage Liquor detailed overleaf at ...................A.M./P.M. today on........................

Date..................

Excise Sub-Inspector .... Circle ....District	**Officer-in-charge Foreign Liquor Warehouse ....**	**Officer-in-charge Country Liquor Warehouse ....**	**Officer-in-charge Winery ....**	**Officer-in-charge Heritage Liquor Manufacturing Unit (HL-1) .... District**

(whichever is applicable)

(Description to be mentioned on the back of the Form H.L.-3)

(Details of Heritage Liquor for which this transport permit is issued)

S. No.	Brand/ Label	Batch No. and Date	Number of Boxes				Total No. of Boxes	Strength	Quantity in Bulk litres	Quantity in Proof litres
			750 ml	500 ml	375 ml	180 ml				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Date.................

Excise Sub-Inspector .... Circle ....District

Officer-in-charge Foreign Liquor Warehouse ....

Officer-in-charge Country Liquor Warehouse ....

Officer-in-charge Winery ....

Officer-in-charge Heritage Liquor Manufacturing Unit (HL-1) ....District

(whichever is applicable).".

12. FORM H.L.-4 shall be omitted.
13. In FORM H.L.-5, in column numbers 5, 6 and 7 of the table for the figures and letters "375 ml, 180 ml, 90 ml", the figures and letters "500 ml, 375 ml, 180 ml" shall be substituted respectively.
14. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.